

54

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/289 ✓

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री जन्दा पिता मुण्डा जाति बैरवा निवासी वीरडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम वीरडा पटवार मण्डल वीरडा के खाता संख्या 233 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी


()

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मि. जन्दा बैरवा

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री जन्दा पिता मुण्डा की ग्राम वीरडा प.0म0 वीरडा के खाता संख्या 233 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

जन्दा महाराज
पटवारी
प.0म0 वीरडा
9-8-2022


9-8-2022
मूअनि0
वृत्त वीरडा


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि. के प्रार्थी श्री जन्दा पिता मुण्डा की ग्राम वीरडा प.0म0 वीरडा के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिपंशा के प्रार्थी श्री जन्दा पिता मुण्डा की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम वीरडा प.0म0 वीरडा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।


पटवारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

224/22
24/6/22